संख्या- 14 /2021/ 807 /23-2-2021

प्रेषक,

अभय कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 21 दिसम्बर 2021

विषय:- जनपद सहारनपुर ग्राम नन्दी फिरोजपुर एवं ग्राम मल्हीपुर के मध्य ढमोला नदी पर निर्मित सेतु की शेष भूमि क्रय किये जाने की मांग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक- 86 एल0ए0/2020, दिनांक 16.06.2021, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सहारनपुर में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम नन्दी फिरोजपुर से ग्राम मल्हीपुर के मध्य ढमोला नदी पद निर्मित सेतु की पहुँच मार्ग के लिए आवश्यक भूमि क्रय किये जाने हेतु भूमि अध्याप्ति हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 10000.00 लाख में से रू0 17.38 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्तावित आवंटन रू0 9.00 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी तथा विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5) विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि का क्रय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

(7) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018, दिनांक 01 सितम्बर, 2018 के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(8) विभाग द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-३/२०२१/बी-१-३७५/दस-२०२१-२३१/२०२१, दिनांक २२ मार्च, २०२१ में वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-1330-प्रदेश के कपिय मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिए एकमुश्त व्यवस्था-60 भूमि क्रय मद" के नामे डाला जायेगा।

Scanned with CamScanner

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू0 ओ 0-ई-8- 3163 /दस-2021,-22, दिनांक 21 दिसम्बर 2021 में प्राप्त उनकी सहमति मे जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by अभय कुमार
Date: 15-11-2021 17:23:04
Reason: Approved

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-14/2021/801/23-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ 0 प्र 0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ 0 प्र 0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, सहारनपुर।
4- विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सहारनपुर।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता, सहारनपुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर।
7- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ 0 प्र 0, लखनऊ।
9- वेब अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/7
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ 0 प्र 0 शासन।
12- गार्ड फाईल

आज्ञा मे,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।

Scanned with CamScanner